राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

222/2020 ब्रह्मप्रकाश / मानाराम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23/7/20

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 29/06/2020 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है की इस अपील के रेस्पो. संख्या 2,3,4,5 जो अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ल 4 है , के द्वारा विवादग्रस्त भूमि में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा इस अपील के अपीलार्थी ब्रह्मप्रकाश स्वामी के हक़ में रजिस्टर्ड विक्रय के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया गया है जिससे विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में अपीलार्थी स्पष्ट रूप से प्रभावित पक्षकार है | अपील पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 29/06/2020 की फोटो प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी जो इस अपील में रेस्पो. संख्या 1 है के द्वारा विवादग्रस्त भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19/06/2020 के जरिये ही खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है ऐसी परिस्थिति में प्रकरण की इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है की अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 1 दोनो ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में अपना हक़ अधिकार रखते है एवं चुकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण की इस स्टेज पर यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त दोनो क्रेतागण के मध्य ही विवादग्रस्त भूमि का विभाजन होना है अत: ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 06/07/2020 न्यायसंगत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को यह निर्देश प्रदान किये जाते है की वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 04/08/2020 को उपस्थित होकर उचित प्रार्थना पत्र एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे उनके समक्ष नियत दिनांक 04/08/2020 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
222/2020	प्रेमप्रकाश / मानाराम

समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)